केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-/16:617

23 Aug 2018

विषय: IS 617:1994 की संशोधन संख्या 2, जुलाई 2018 का अनुपालन (Aluminium And Aluminium Alloy Ingots And Castings For General Engineering Purposes)

- 1 आई एस 617:1994 के संशोधन सं 2 को प्रकाशित किया गया है। गजेट नोटिफ़िकेशन सं S.O. 3722 (E) 26 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
- 2 सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइसेन्स धारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे मे सूचित करें।

(आदित्य दास) वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/एम टी डी/एलिपिपिडी को intranet माध्यम से परिचालित प्रतिलिपि:

ITS - इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT -2

Our Ref: CMD-2/16:617 23-Aug-2018

Subject: Implementation of amendment no. 2, July 2018 to IS 617:1994 (Aluminium And Aluminium Alloy Ingots And Castings For General Engineering Purposes)

- 1. Amendment no. 2 to IS 617:1994 has been published. As per Gazette Notification No S.O. 3722 (E) dated 26 July 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
- All BOs are requested to inform the licensees/applicants in their jurisdiction about the above amendment.

Aditya Das Sc. C

HCMD-2

Circulated to ROs/BOs/MTD/LPPD through intranet

Copy to: ITSD- for hosting in intranet